पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

356

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म. प्र.)

निगरानी 904-II-15

प्रकरण क्रं. /2015 निगरानी

श्री आशीष सक्सेना द्वारा आज दि. 27-4-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 27-4-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आशीष सक्सेना एड.

नूरमोहम्मद पुत्र श्रीमान खां जाति मुसलमान आयु 70 वर्ष निवासी वार्ड क्रं. 5, संत कबीर मार्ग जौरा तसहील जौरा जिला मुरैना (म. प्र.).........आवेदक

विरूद्ध

1– अनवर खां

2– अयूब खां

3– राशिद खां

4– चांद खां

5– गुन्ना खां पुत्रगण धन्ना खां जाति मुसलमान निवासीगण संजय नगर, जौरा तहसील जौरा जिला मुरैना (म. प्र.)

6– हसगुन पत्नी शेर मोहम्मद पुत्री स्व. धन्ना खां जाति मुसलमान निवासी 1 यूनिट एस. ए. एफ. क्वार्टर मुरैना तहसील व जिला मुरैना (म. प्र.)

7– छोटी उर्फ सलमा पत्नी जाकिर खां पुत्री स्व. धन्ना खा जाति मुसलमान निवासी दरगाह के पास,

गोहद तहसील गोहद जिला भिण्ड

(म. प्र.)

8– म. प्र. शासन......... ....अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 30/10/14 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जौरा जिला मुरैना (म. प्र.) प्रकरण क्रं. 36/2013–14 अ. मा. अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू.–राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है:–

1– यह कि ग्राम सांकरा तहसील जौरा जिला मुरैना में शासकीय भूमि सर्वे क्रं. 695 रकवा 6 विस्वा यानी 0.063 हेक्टैयर स्थित है। इस भूमि में से 10 X 10 की भूमि पर अतिक्रमण अनावेदक क्रं. 1 व 2 के पिता मुन्ना खां के द्वारा किया गया। जो एंक बोर निर्माण हेतु कुर्सी कसकर एंव दीवार लगभग 4–5 फीट बनाकर अतिक्रमण किया गया है। जिसे आगे के पदों में विवादित भूमि के नाम से उल्लिखित किया जावेगा।

2– यह कि न्यायालय तहसीलदार जौरा ने उक्त विवादित भूमि के संबंध में अनावेदक क्रं. 1 व 2 के पिता धन्ना खां के विरूद्ध धारा 248 म. प्र. भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जिसका प्रकरण क्रं. 34/2011–12 X अ/68 है। धन्ना खां को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में धन्ना खां ने उत्तर प्रस्तुत किया।

3– यह कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जौरा के द्वारा दिनांक 30/07/2012 को आदेश पारित करते हुए धन्ना खां निवासी संजयनगर जौरा द्वारा ग्राम सांकरा की भूमि सर्वे क्रं. 695 रकवा 0.065 के अंशभाग 10 X 10 पर बोर एंव तिवरिया निर्माण कर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित पाया और अधीनस्थ न्यायालय

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-904-दो/2015 जिला मुरैना

नूरमोहम्मद विरूद्ध अनवर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
11-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जौरा जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 36/2013-14/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 30-10-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर मुरैना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 09-05-2019 को कलेक्टर मुरैना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के.जैन) 11.3.19 सदस्य	